न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक पी.बी.आर./निगरानी/रतलाम/भू.रा/2018/..1994...

1– ऊकारसिंह राजपूत पुत्र श्री इंदरसिंह

2– रूगनाथसिंह पुत्र श्री ऊकारसिंह राजपूत

निवासीगण– ग्राम रामगढ, तहसील
पिपलौदा, जिला रतलाम (म.प्र.)
..................आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 23/03/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 04/04/18 नियत।
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

धनकुंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह राजपूत
निवासीगण– ग्राम रामगढ, तहसील
पिपलौदा, जिला रतलाम (म.प्र.)
..................अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 तहसीलदार महोदय पिपलौदा, जिला रतलाम के क्रमांक 18/अ–12 /17–18 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2017 के विरूद्ध निगरानी जानकारी दिनांक से अंदर अवधि प्रस्तुत।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यहकि अनावेदिका धनकुंवर द्वारा तहसीलदार महोदय पिपलौदा के समक्ष भूमि सर्वे क. 166 रकवा 0.110 हैक्टर के सीमांकन हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अनावेदिका की भूमि से लगी हुई। आवेदक के स्वत्व स्वामित्व की भूमि सर्वे क. 165 रकवा 0.21 हैक्टयर स्थित है। जिसे आवेदक द्वारा जर्ये रजिर्स्टड विकय पत्र दिनांक 05.06.2002 को कय की थीं जिस पर आवेदक भवन बनाकर निवास कर रहा है। आवेदक प्रति निग. का सरहदी है आवेदक को सरहदी भूमि स्वामी होने के बाबजूद भी जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया, और नाही आवेदक को उक्त सीमाकन की कोई व्यक्तिगत सूंचना दी गई, एकपक्षीय बालाबाल कार्यवाही करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध सीमांकन का आलोच्य आदेश दिनांक 23.12.17 को पारित किया गया।

2– यह कि प्रतिनिगार द्वारा उक्त सीमांकन आदेश दिनांक 23.12.2017 के आधार पर अधीनस्थ

ऊंकारसिंह / धनकुंवर

XXIX(a)-BR(H)-11

(11)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - PBR/नि/रतलाम/भू.रा./18/1984 जिला - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार पिपलौदा के प्रकरण क्रमांक 18/अ-12/17-18 में पारित आदेश दिनांक 23.12.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर रतलाम को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	